न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल.आर.गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 33/2018 अपील

1. श्री रामपाल पुत्र मोहन माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा 2. श्री छगन लाल पुत्र मोहन माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा 3. श्री मांगीलाल पुत्र मोहन माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा 4. श्री रामकिशन पुत्र मोहन माली निवासी डाबला कचरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाडा	बनाम	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शाहपुरा जिला भीलवाडा
–अपीलार्थी		–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले
प्रकरण सं0 16/2017 निर्णय दिनांक 12.01.2018

उपस्थित –

श्री गोपाल अजमेरा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
श्री विपुल बापना राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांक 23.05.2018

अपीलार्थी की ओर से यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 16/2017 निर्णय दिनांक 12.01.2018 के खिलाफ दिनांक 15.02.2018 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट को ग्राम डाबला कचरा में स्थित सरकारी बिलानाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

आराजी नम्बर 112 व 113 रकबा क्रमशः 0.18 व 0.21 हैक्ट. भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की तथा धारा 91 (3) भू राजस्व अधिनियम 1956 का नोटिस अपीलाण्ट को दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नियमित अतिचारी मानते हुये पश्चावर्ती अतिचारी मानते हुये 03 माह का सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं आदेश पारित किया जो कानून की बिना पूरी पालना किये पारित किया हैं तो निरस्त होने योग्य हैं । विवादित आराजी नम्बर 112 व 113 के किसी भी भू भाग पर अपीलाण्ट को कोई अतिक्रमण नहीं हैं । फिर भी मात्र पटवार हल्का की रिपार्ट के आधार पर अपीलाण्टगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान जो निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया है वह विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । अपीलाण्टगण के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत् कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का के सशपथ बयान नहीं हुए है, न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुआ है। अपीलाण्टगण नियत पेशी दिनांक 12.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु मौका चाहा लेकिन अपीलाण्टगण को उक्तानुसार मौका दिए बिना ही पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट को एक आधार मानकर जो निर्णय पारित किया हैं , वह अपास्त होने योग्य हैं । अपीलाण्टगण को सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया , न ही कोई मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.2018 को मंगवाई गयी । अपीलाण्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया कि उनके द्वारा कोई कब्जा मौके पर नहीं किया गया है तथा कब्जा काफी समय पूर्व छोड़ दिया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्टगण के उक्त तथ्यों पर कोई गौर नहीं कर निर्णय पारित किया है, जो अपास्त होने योग्य हैं । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2018 को पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किया गया एवं अधीनस्थ

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय से अपीलाधीन आदेश संबंधी रिकाड़ तलब किया गया।

अपीलार्थी अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। बहस दौरान अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपील मेमों मे वर्णित कथन को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट को ग्राम डाबला कचरा में स्थित सरकारी बिलानाम आराजी नम्बर 112 व 113 रकबा क्रमशः 0.18 व 0.21 हैक्ट. भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण दर्ज कर अंतर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलाण्ट के विरूद्व अतिक्रमण की कार्यवाही शुरू की तथा धारा 91 (3) भू राजस्व अधिनियम 1956 का नोटिस अपीलाण्ट को दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नियमित अतिचारी मानते हुये पश्चावर्ती अतिचारी मानते हुये 03 माह का सिविल कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय एवं आदेश पारित किया जो कानून की बिना पूरी पालना किये पारित किया हैं तो निरस्त होने योग्य हैं। विवादित आराजी नम्बर 112 व 113 के किसी भी भू भाग पर अपीलाण्ट का कोई अतिक्रमण नहीं हैं। फिर भी मात्र पटवार हल्का की रिपार्ट के आधार पर अपीलाण्टगण को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान जो निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया है वह विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य हैं । अपीलाण्टगण के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत् कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली नहीं हैं । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवार हल्का के सशपथ बयान नहीं हुए है, न ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हुआ है। अपीलाण्टगण नियत पेशी दिनांक 12.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तथा जवाब हेतु मौका चाहा लेकिन अपीलाण्टगण को उक्तानुसार मौका दिए बिना ही पटवारी हल्का द्वारा पेश रिपोर्ट को एक आधार मानकर जो निर्णय पारित किया हैं, वह अपास्त होने योग्य हैं । अपीलाण्ट ने आ.नं. 112 व 113 पर कब्जा नहीं होना एवं भविष्य में उक्त आराजियात पर कब्जा नहीं करने संबंधी शपथ पत्र पेश किया हैं। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय एवं आदेश दिनांक 12.01.2018 को अपास्त फरमाया जावे ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्टगण निवासी डाबला कचरा के द्वारा ग्राम डाबला कचरा के आराजी नं. 112 व 113 रकबा क्रमशः 0.18 व 0.21 हैक्ट. भूमि किस्म बीड पर अतिक्रमण करने पर

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रकरण सं. 16/2017 दर्ज कर धारा 91 के तहत नोटिस जारी कर अपीलाण्टगण द्वारा विगत वर्ष में भी अतिक्रमण कार्यवाही में बेदखल करने पर पुनः अतिचार कर लेने से पश्चातवर्ती अतिचार करने के कारण 03 माह के सिविल कारावास एवं शास्ति 50/–रू. से दिनांक 12.01.2018 को दण्डित किया गया है जो नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा का निर्णय यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करावें ।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि ग्राम डाबला कचरा तहसील शाहपुरा के आराजी नं. 112 व 113 रकबा 0.18 व 0.21 हैक्ट. भूमि राजस्व रिकार्ड में किस्म बीड़ दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार शाहपुरा के निर्णय अनुसार अतिक्रमी का उक्त आराजी नं. 112 व 113 में रकबा 0.18 व 0.21 हैक्ट. भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 03 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया हैं एवं 50/–शास्ति आरोपित की गयी। उक्त आराजी किस्म बीड़ भूमि है। अतिक्रमी की देखा देखी कर अन्य व्यक्ति भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के प्रयासरत है ।

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी नं0 112 व 113 रकबा 0.18 व 0.21 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने से प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया । अपीलार्थीगण का आ.नं. 112 व 113 में पूर्व में भी अतिक्रमण होने से प्रकरण सं. 66/2015 निर्णय दिनांक 06.10.2015 एवं 201/2016 में बेदखली आदेश पारित होकर अपीलार्थीगण अतिक्रमीगण को बेदखल किया गया । इसके पश्चात भी अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के साथ साथ 03 माह के सिविल कारावास की सजा भुगताए जाने व उक्त भूमि के वार्षिक लगान का 50 गुणा आर्थिक जुर्माना कुल 50/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश भी पारित किया गया था। नियत पेशी दिनांक को अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट हैं कि अपीलान्ट के द्वारा उक्त बीड़ भूमि पर अनाधिकृत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने का अपराध किया है।

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को दोषी मानते हुए अपीलाधीन आदेश से दण्डित करते हुए शास्ति का आरोपण किया जाकर 03 माह के सिविल कारावास की सजा से व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का जो आदेश पारित किया गया हैं वह युक्तियुक्त होकर विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसमे कोई त्रुटि नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जाने योग्य हैं एवं अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले प्रकरण सं0 16/2017 निर्णय दिनांक 12.01.2018 के क्रम में खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.01.2018 यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति मय तलविदा रिकार्ड़ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.5.18

(एन.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)